न<u>्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिलाभिण्ड</u> <u>मध्यप्रदेश</u> पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण कमांक 227/2007 संस्थापित दिनांक 26.04.2007 फाईलिंग नं.230303000322007

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0.

<u>..... अभियोजन</u>

बनाम

 चुक्खा खां पुत्र छिंग्गा खां उम्र-30साल व्यवसाय मजदूरी निवासी-गुढी गुढा का नाका कम्पू लश्कर ग्वालियर म0प्र0

<u>.. अभियुक्त</u>

<u>::- निर्णय -::</u> (आज दिनांक 18 / 07 / 1014 को घोषित किया)

- 1. आरोपी के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 379/34 के अपराध के आरोप हैकि दिनांक 11/02/07 के 13.00 बजे आरोपी ने गोहद चौराहापर फरियादी प्रभाषचन्द्र जैन के आधिपत्य की हाथ के सोने के दो कंगन,गले का हार,सोने का एक नग,कॉन के कुन्डल सोने के नग कीमती 70,000/—रूपय सदोष अभिलाष प्राप्त करने के आशय से बेईमानीपूर्वक आशय से निकालकर चोरी कारित की।
- 2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में विचारण के दौरान शेष आरोपीगण युसुफ,रहमान,मेहबूब खां,यासीन,इब्राहीम को निर्णय दिनांक 04/10/13 के पालन में दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी प्रभाषचन्द्र जैने ने पुलिस थाना देहात भिण्ड को एक लेखीय आवेदन इस आशय का प्रस्तुत कियाकि वह दिनांक 11/2/07 को दिन के 12:00 बजे उसका लडका नीरज जैन व उसकी लडकी निधि जैन ग्वालियर से बस में बैठकर भिण्ड आ रहे थे बस में अटैची चढाई और अटैची को बस के कण्डेक्टर ने पिछली सीट पर रखवा दिया उसके लडके एवं उसकी लडकी ने अटैची पीछे रखने से मना किया तो कण्डेक्टर गर्म होने लगा पीछे की सीट पर 4,5 लोग बैठे जो गर्म होने लगे थे अटैची मे हाथ के सोने के

कंगन, सोने का गले का हार व कान के कुण्डल, व कॉन का कुण्डल, अटैची में रखा था जो 4,5 लोगों के पास रखी थी उसका लडका व लडकी निधि घर महावीर गंज गोहद में आये अटैची खोलकर देखी तो जेवरात नहीं मिले। 4,5 युवा उम्र के बैठे लोग गोहद चौराहा पर उतर गये थे उन्हीं ने उक्त जेवरात चोरी की है जिसकी कीमत लगभग 70 हजार रूपये थे।

- 4. फरियादी की लेखीय आवेदन को पुलिस थाना देहात मिण्ड द्वारा 0/07 पर कायम कर अग्रिम विवेचना हेतु गोहद चौराहा थाने को भेज दिया गया ततपश्चात जांच उपरांत पुलिस थाना गोहद चौराहा अप0क019/07 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफतार कियागया जप्ती अनुसार सामान जप्त किया गया इसके पश्चात साक्षियों के कथान लेखबद्ध कर एवं संपूर्ण विवेचनापूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 5. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 379 के आरोपों की विरचना की गई आरोपी ने उक्त आरोपों को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय से चाहा ।
- 6. आरोपी को दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 313 के तहत प्रतिरक्षा परीक्षा में प्रवेश कराया जाने आरोपी ने बचाव साक्ष्य ना देना व्यक्त किया और अपने बचाव में आरोपी ने यह तर्क दिया है कि वह निर्दोष है उसे झूंठा फंसाया गया है।
- 7. प्रकरण में निम्निलिखित अवधारणीय प्रश्न यह हैकि:—

 क्या आरोपी ने फिरयादी प्रभाषचन्द्र जैन के आधिपत्य के
 हाथ के सोने के दो कंगन,गले का हार,सोने का एक नग,कॉन
 के कुन्डल सोने के दो नगद कीमती 70,000/—रूपये सदोष
 अभिलाष प्राप्त करने के आशय से चोरी कारित की?

सकारण निष्कर्ष

- 8. प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रभाषचन्द्र जैन आ0सा01,निधि आ0सा02,नीरज जैन आ0सा03,गंगासिह आ0सा04,सुमन तोमर आ0सा05,ऋषिकेस आ0सा06,आशीषसिंह पवार आ0सा07 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।
- 9. प्रभाषचन्द्र जैन आ०सा०1 का कहना हैकि दिनांक 11/2/07 के दिन के 2:00बजे की बात है उसका लडका नीरज व उसकी लडकी निधि बस में बैठकर आ रहे थे। उसके लडके ने बस में अटैची चढाई तो कण्डेक्टर ने भीड के चक्कर में अटैची पीछे सरका दी जिससे कण्डेक्टर के विवाद भी हुआ था अटैची में एक सोने का हार,2 तोले दो हाथ के

कंगन,दो कॉन के बाले रखे थे। जिन्हे गोहद चौराहा पर किसी व्यक्ति ने चोरी कर लिये । उसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना देहात में लिखित में दी थी । लेखीय रिपोर्ट प्र0पी01 की है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है पुलिस ने लेखीय आवेदन के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जो प्र0पी02 की है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्र0पी03 का है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षरहै पुलिस द्वारा पहचान की कार्यवाही की थी जो प्र0पी04 की है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने अपनी लडकी के जेवर पहचान लिये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—3 में यह स्वीकार किया है कि यह घटना उसके लडके व लडकी ने घर पर आकर बताई थी । इससे यह दर्शित होता है कि यह साक्षी घटना का अनुश्रुत साक्षी है । अब देखनायह हैकि इसके लडके नीरज व लडकी निधि का क्या कहना है।

कहना हैकि उसकी निधि आ०सा०२ का 23/1/2007 को हुई थी उसका भाई 10 फरवरी 2007 को लिवाने आया था वह अपने भाई के साथ 11 फरवरी 2007 को गई थी उसकी सफारी कंपनी की अटैची में एक हार दो कान के बाले दो हाथ के कंगन सोने के रखे थे ग्वालियर बस स्टेण्ड से करीब12:00 बजे बस कमांक एम.पी.30एफ. 041 में बस के पीछे वाली सीट पर वह भाई के साथ बैठ गई और सूटकेस गैलरी मे रख दिया तो कण्डेक्टरने सूटकेस को पीछे कर दिया मना करने पर विवाद भी हुआ था । बस के अंदर 3,4 लोग खड़े थे वह लोग शायद गोहद चौराहा पर उतर गये जब उसने घर जाकर सूटकैस खोलकर देखा तो उसमे गहने नहीं थे पुलिस ने उसके कथन लेखबद्ध किये थे चोरी के सामान की पहचान की कार्यवाही हुई थी जो प्र0पी04 की है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है चौरी गया सामान उसने पहचान लिया था। पहचान की कार्यवाही सरपंच सुमन की मौजूदगी में हुई थी पहचान की कार्यवाही में सिर्फ हार था जिसको उसने पहचान लिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-2 में यह स्वीकार किया हैकि ग्वालियर से भिण्ड जाने के बीच उसने सूटकैस को चैक नहीं किया उसे यह भी जानकारी नही हैकि सूटकैस का सामान कहा से चोरी हुआ था पीछे की सीट पर 4,5 लोग बैठे थे उन्हें साक्षी पहचान नहीं सकतीं। साक्षी के कथनों से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि ग्वालियर से जब बस में बैठकरआई तो किन्ही अज्ञात व्यक्तियों ने उसके सूटकैस का समस्त सामान चुरा लिया था। न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को देखकर भी साक्षी ने उन्हे पहचानने सेइंकार किया है इसलिये साक्षी के कथनो से यह तथ्य प्रमाणित नही होता हैजिस बस में वह सफर कर रही थी उसकी पिछली वाली सीट पर आरोपीगण ही यात्रा कर रहे थे।

फरवरी 2007 के दिन वह ग्वालियर से अपनी बहन निधि के साथ गोहद आ रहा था उसके पास सूटकैस एवं एक बैग था बस में जिस सीट पर वह बैठा था उसके पीछे 03 लोग ओर खडे थे सूटकैस बगल से गैलरी में रखा था । कण्डेक्टर ने सूटकर हटाने को कहा तो उसने मना किया औरकुछ देर बाद सूटकैस लेकर पीछे वाली सीट पर फसा दिया इस पर एतराज किया किन्तु पीछे खडे उन्होने कहाकि कोई बात नहीं रखा रहने दो । पीछे बैठने वाले लोग गोहद पर उतर गये उन्होंने घर जाकर सूटकैस खोला तोउसमें गले का हार,दो कॉन के कुण्डल,दो हाथ के कंगन नहीं थे।

- 12. साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—5में यह स्वीकारिकयाहैक मिण्ड तक रास्ते में जाते समय उसने व उसकी बहन ने सूटकैस खोलकर चोरी गये सामान को चैक नहीं किया था साक्षी ने यह भी स्वीकार कियाहैकि पीछे खड़े 4,5 लोगों ने सूटकैस से हाथ लगाया या नहीं उसने नहीं देखा वह नहीं बता सकता कि पीछे खड़े 4,5 लोगों ने चोरी की है अथवा नहीं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—6में यह भी स्वीकार कियाहैकि उसकी बहन की सामान की चोरी हुई थी वह उन आरोपीगण को पहचान नहीं सकता है इसलिये इस साक्षी के कथनों से आरोपीगण की पहचान सुनिश्चित नहीं होती है।
- 13. गंगासिह आ०सा०4 का कहनाहैकि प्रभाषचन्द्र जैन का सामान चोरी हो गया था जो पुलिस ने जप्त किया था उसके सामने आरोपीगण को गिरफतार किया था जो प्र०पी०4 लगायत 8 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। लेकिन उसके सामने चोरी गये सामान के संबंध में आरोपीगणने पुलिस को कोई जानकारी नही दी थी मेमोरंडम प्र०पी०9 लगायत 13 का है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके सामने सामान जप्त कियाथा जप्ती पंचनामा प्र०पी०14 का है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। शेष घटनाकम से साक्षी ने अनिभन्नता जाहिर की है अभ्योजन साक्षी कोपक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं कियाहैकि उसके समाने आरोपीगण ने चोरी गये सामान के सबंध में जानकारी दी थी इसी आधार पर पुलिस ने आरोपीगण को गिरफतार कर उनसे जप्ती की कार्यवाही की थी साक्षी के कथनों से मेमोरंडम की कार्यवाही प्रमाणित नहीं होती है।
- 14. सुमन तोमर आ0सा05 का कहनाहैकि वर्ष 2005 से 05 साल के लिये राय की पाली जनपद पंचायत गोहद में सरपंच के पद पर पदस्थ थी 05 साल पहले उसके सामने गोहद चौराहा पर शिनाख्ती की कार्यवाही हुई थी जो प्र0पी04 की है जिसके सी से सी एवं डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षरहै उसके सामने महिला व पुलिस ने सोने का

हारपहचाना था साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—2 मे यह स्वीकार कियाहैकि शिनाख्ती के समय एक हार था अन्य कोई हार नहीं था इस तरह साक्षी के कथनों से शिनाख्ती की विधिवत कार्यवाही होना प्रमाणित नहीं होताहै।

15. ऋषिकेस शर्माआ०सा०६ का कहना हैकि दिनंकि 12/2/07 को थाना गोहद चौराहा पर सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थथा उक्त दिनंकि को अपक००19/07 धारा 379 भा.द.वि.की एफ०आई०आरविवेचना हेतु प्राप्त हुईथी उक्त दिनंकि को ही उसने फरियादी के साथ नक्शा मौका तैयार किया था जो प्र०पी०3 का है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षरहै उसी दिनंकि को प्रभाषचन्द्र जैन के कथन उसने लेखबद्ध किये थे। साक्षी के द्वारा नक्शा मौका तैयार कियागया जो फरियादी के बताये अनुसार तैयारिकया है चूंकि फरियादी प्रभाषचन्द्र जैन घटना का अनुश्रुत साक्षी है ऐसी स्थिति में नक्शा मौका भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

आशीषपवार कहना हैकि आ०सा०७ का 12/2/07 को थानागोहद चौराहा पर थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था उक्त दिनाक को थाना देहात भिण्ड से प्राप्त अप०क०० / 07 धारा 379 भा. द.वि.की प्रथम सूचना प्र0पी02 की प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर उसने प्र0पी015 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है उसके बाद दिनांक 14/2/07 को साक्षी निधि एवं नीरज के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे दिनांक 26/3/07 को आरोपी इब्राहित,यासीन,मेहबूब, रहमान व यूसूफ को साक्षीगण के समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा तैयार किया जो प्र0पी04 लगायत 8 काहै जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है उसके बाद आरोपी रहमान से पछताछ की गई उसका मेमोरंडम तैयार किया जोप्र0पी09 का है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षरहै आरोपी रहमान,ने पुलिस अभिरक्षामे रहते हुये यह बताया था कि दिनांक 11/2/07 को उसने इब्राहित,यासीन,मेहबूब,युस्फ के साथ ग्वालियर से भिण्ड जा रही बैस में सोने के हार व कुण्डल चुराये थे जिसमें हार मेहबूब पर है इसी प्रकार यसफ ने भी प्र0पी010 का मेमोरंडम दिया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है आरोपी यासीन ने भी उसे मेमोरंडम दिया था जो प्र0पी011 का है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है आरोपी इब्राहिम द्वारा भी मेमोरंडम दिया था जो प्र0पी012 का है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षरहै। आरोपी मेहबूब क द्वारा भी मेमोरंडम दिया गया जो प्र0पी013 काहै जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 26/3/07 को मेहबुब से साक्षीगण के समक्ष एक सोने का हार अंदाजन 25 ग्राम जप्त कर जप्ती पंचनामा व उससे लोहे की 04 मास्टर चाबियाँ जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयारिकया जो प्र0पी014 का है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 17. प्रकरण में साक्षी द्वारा मेमोरंडम जप्ती,गिरफतारी,की कार्यवाही की है लेकिन किसी भी आरोपी ने अपने मेमोरंडम मे ऐसा कथन नहीं दिया हैिक आरोपी चुक्खा उनके साथ चोरी की वारदात को अंजाम देते समय सम्मलित था अनुसंधानकर्ता द्वारा भी आरोपी चुक्खा के संबंधमें न्यायालीन अभिलेख पर कोई कथन नहीं दिया है। चूंकि आरोपी अभियोगपत्र प्रस्तुत करते समय अनुपस्थित था लेकिन अन्य आरोपीगण द्वारा भी पुलिस को मेमोरंडम देते समय चुक्खा के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है।
- 18. प्रकरण में साक्षी प्रभाषचन्द्र जैन अनुश्रुत साक्षी है साक्षी निधि जैन आ0सा02,नीरज जैन आ0सा03 के द्वारा भी आरोपी को पीछे खडे हुये लोगों में से पहचानने से इंकार कियाहै ऐसी स्थिति में घटना के समय जो सूटकैस के पास जो लोग खडे थे उनकी भी पहचान सुनिश्चित नहीं हुई है। अनुसंधानकर्ता आशीष पवारआ0सा07 के कथनों से भी आरोपी चुक्खा के संबंध में न्यायालीन अभिलेख पर कोई कथन नहीं है ऐसी स्थिति में आरोपी चुक्खा के विरुद्ध भा.द.वि.की धारा 379 के आरोपित आरोप लेसमात्र भी प्रमाणित नहीं होते है।
- 19. आरोपी चुक्खा को भा.द.वि.की धारा 397 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाताहै आरोपी के जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते है।
- 20. प्रकरण में जप्तशुदा एक सोने का हार पूर्व से सुर्पुदगी पर दिया गया है सुर्पुदगीनामा अपील अविध पश्चात स्वमेव निरस्त माना जावे जप्तशुदा लोहे की चार मास्टर चाबियाँ मूल्यहीन होने से अपील अविध पश्चात विनिष्ट की जाये अगर प्रकरण में अपील होती है तो मुददेमाल का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशनुसार किया जावे।
- 21. प्रकरण में धारा 428 द0प्र0स0के तहत पृथक से प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।
- 22. प्रकरण धारा 437द0प्र0स0के तहत पूर्व मे ही 10 हजार रूपये की जमानत प्रस्तुत की जा चुकी है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देश पर टाईप किया

एस०डी० / – जे०एम०एफ०सी०गोहद

एस0डी0 / — जे०एम0एफ0सी0गोहद

7 आपराधिक प्रकरण कमांक 227/2007